सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2 के अधिसूचना संख्या–707/V–2–आ0–2021–105(आ0)/2013 टी0सी0 देहरादून दिनांक 24 मार्च, 2021 के द्वारा ''एक बार समाधान योजना 2021'' प्रख्यापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त शासनादेश का लाभ प्राप्त करने हेतु शासनादेश निर्गत होने के 6 माह तक लागू रहेगी। उक्त अधिसूचना जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कार्यालय पिथौरागढ़ की बेबसाईट http://ddapithoragarh.eirasoft.com/ एवं जनपद की बेवसाईट https://pithoragarh.nic.in/ पर उपलब्ध है।

योजना के मुख्य लाभ निम्न प्रकार हैः–

1. एक बार समाधान योजना लाभ प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन शुल्क आवासीय भवन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों हेतु ₹ 2500.00 और गैर आवासीय भवन पर्वतीय क्षेत्र हेतु ₹ 5,000.00 धनराशि देय होगी। यह योजना 31.12.2020 तक निर्मित भवनों/निर्माणों पर लागू होगी। एक बार समाधान योजना के तहत वर्ष 2012 के सर्किल दर पर शमन शुल्क की गणना की जायेगी।

कार्यालय सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पिथौरागढ़।

संख्या–220 /जि0वि0प्रा0पिथौ0/समाधान योजना/2021 दिनांक 01, अप्रैल 2021

प्रतिलिपिः सम्पादक, अमर उजाला, हिन्दुस्तान को इस आशय के साथ प्रषित कि कृपया उक्त सार्वजनिक सूचना आम जनमानस की जानकारी हेतु न्यूनतम साईज में शासकीय दर पर अपने–अपने दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। तद्परान्त बिल बाउचर जिला सूचना अधिकारी पिथौरागढ़ से सत्यापित कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः अधिशासी अभियन्ता, अवर अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पिथौरागढ़ को इस आशय के साथ प्रेषित कि आम जनमानस की जानकारी हेतु अपने स्तर से उक्त अधिसूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः जिला सूचना अधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01/04

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
पिथौरागढ़।